2025:CGHC:21360

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक 26/03/2025)

(निर्णय पारित करने का दिनांक 08/05/2025)

दाण्डिक अपील क्रमांक 295/2021

1– अनिल कर्ष पिता शंकर लाल कर्ष, आयु लगभग 40 वर्ष

2– अनीता कर्ष, पति अनिल कर्ष, आयु लगभग 35 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम लखुर्री, थाना सारागांव, जिला जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)

... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: जिला मजिस्ट्रेट, जिला जांजगीर–चांपा

... प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री अमित सिंह चौहान, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	सुश्री प्रभा शर्मा, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

(सीएवी निर्णय)

1. अपीलार्थी ने वर्तमान दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अधीन प्रस्तुत की है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा, (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 64/2017 में दिनांक 24/02/2021 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को प्रश्नगत किया गया है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थीगण को निम्नानुसार सिद्धदोष एवं दण्डित किया गया है:–

अपीलार्थी क्रमांक 1 अनिल कर्ष हेतु

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भा.द.सं. की धारा 342 के अधीन	01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 01 माह का अतिरिक्त कारावास
भा.द.सं. की धारा 376 के अधीन	10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास

अपीलार्थी क्रमांक 2 अनिता कर्ष हेतु

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भा.द.सं. की धारा 342 के अधीन	01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 01 माह का अतिरिक्त कारावास
भा.द.सं. की धारा 120–ख सहपठित धारा 376 के अधीन	07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 19.08.2017 को अभियोक्त्री ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत (प्र.पी.–1) दर्ज कराई कि दिनांक 18.08.2017 को दोपहर 2.30 बजे वह अपने परिवार के साथ घर पर थी, उसी समय अनिल कर्ष की पत्नी अनीता उसे बुलाने आई, वह अपनी सास को बताकर अनिल के घर गई और अपने पुत्र लक्ष्मण को ले गई। जैसे ही वह अनिल के घर की छाया में पहुंची तो अनिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे में ले जाने लगा, जब वह अंदर नहीं आई तो उसकी पत्नी अनीता ने उसे कमरे के अंदर धकेल दिया, जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंची तो अनिल ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, उसकी पत्नी अनीता अपने पुत्र के साथ कोला की तरफ चली गई, अनिल ने उसे बलपूर्वक जमीन पर पटक दिया, उसकी पैंटी फाड़ दी और उसके साथ बलात्संग किया और कहने लगा कि जब भी बुलाऊंगा तो आ जाना, तब उसने डर के मारे हां कह दिया, जब वह दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आई तो अभियुक्तों ने उसे धमकी दी कि वह घटना के बारे में किसी को न बताए। यदि किसी को बताएगी तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। वह अपने पुत्र को लेकर भाग गई और घर आकर अपने पति, सास और ससुर को घटना की जानकारी दी। अभियोजक की लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाने में अपराध क्रमांक 121/17 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 342, 120 ख, 506, 34 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.–2) पंजीबद्ध की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन का यह प्रकरण भी है कि अनुविभागीय मजिस्ट्रेट चांपा से अभियोक्त्री के परीक्षण हेतु अनुमति (आवेदन प्र.पी.–14) तथा अभियोक्त्री की सहमति (सहमति पत्र प्र.पी.–3) प्राप्त करने के पश्चात, पटवारी द्वारा नजरी नक्शा तैयार करने हेतु तहसीलदार चांपा को आवेदन (प्र.पी.–21) प्रेषित करने के पश्चात अभियोक्त्री का परीक्षण कराया गया, पटवारी द्वारा नजरी नक्शा (प्र.पी.–5) तथा पंचनामा (प्र.पी.–6) तैयार किया गया, अभियोक्त्री का कथन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन (प्र.पी.–8) दर्ज किया गया, अभियोक्त्री के कब्जे से आसमानी नीले रंग का पेटीकोट(जब्ती मेमोरेंडम प्र.पी.–7) बरामद किया गया , महिला आरक्षी रूबी असमीन के कब्जे से अभियोक्त्री की स्लाइडें, अभियुक्त अनिल के घर से अभियोक्त्री का भूरे रंग का अंडरगारमेंट(जब्ती मेमोरेंडम प्र.पी.–9) बरामद किया गया। अनिल के कब्जे से ग्रे रंग का बरमूडा (जब्ती

मेमोरेंडम प्र.पी.–10) जब्त किया गया, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया (गिरफ्तारी मेमो प्र.पी.–22 और प्र.पी.–23), अभियुक्त अनिल को विचारण(आवेदन प्र.पी.–13)हेतु भेजा गया, अभियुक्त अनिल से जब्त बरमूडा को क्वेरी(आवेदन प्र.पी.–16) के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हनीडीह भेजा गया और शिकायतकर्ता का पेटीकोट व अंतरवस्त्र को क्वेरी(आवेदन प्र.पी.–17) हेतु शासकीय बीडीएम अस्पताल चांपा भेजा गया,जप्ती प्रदर्शों को पुलिस अधीक्षक के मेमो(प्र.पी.–18) द्वारा परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से रिपोर्ट (प्र.पी.–20) प्राप्त हुई, आगे अन्वेषण के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 121/17 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 342, 120 (ख), 506, 34 के अधीन दिनांक 03.10.2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जांजगीर के समक्ष अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जांजगीर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 342 120 (ख)/34, 506 के अधीन दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 842/17 दर्ज किया गया। प्रकरण सत्र न्यायालय, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को दिनांक 14.11.2017 को उपार्पित किया गया तथा दिनांक 21.11.2017 को इस न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5.अभियुक्त अनिल कर्ष के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख, 342, 376 व 506 भाग–2 के अधीन आरोप विरचित किए गए तथा अभियुक्त अनीता कर्ष के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख सहपठित 376, 342 व 506 भाग–2 के अधीन आरोप विरचित किए गए तथा अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए जाने एवं समझाए जाने के पश्चात अभियुक्तों ने आरोपों को अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

6. अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन ने 10 साक्षियों का परीक्षण कराया और 23 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सिद्धदोष किया है तथा उन्हें इस निर्णय के पैरा–1 में उल्लिखित अनुसार दण्डित किया है, अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय पारित करते समय विधि और तथ्यों दोनों में त्रुटि की है, जिसे अपास्त किया जाए। आगे उनका तर्क है कि अभियोक्त्री का कथन उन परिस्थितियों का समर्थन नहीं करता है, जिनके अन्तर्गत अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपराध किया गया है। आगे उनका तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए था कि अभियोक्त्री ने अभियुक्त द्वारा अपराध करते समय कोई शोर नहीं मचाया। आगे उनका तर्क है कि अभियोक्त्री के शरीर पर चिकित्सक द्वारा कोई चोट नहीं पाया

गया तथा चिकित्सा साक्ष्य उसके प्रकरण का समर्थन नहीं करता है। आगे उनका तर्क है कि घटना का स्थान एक घनी बस्ती है और आस–पास घर हैं जहाँ ग्रामीण रहते हैं और यह असंभव है कि ऐसी घनी बस्ती में कोई व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम दे और अभियोक्त्री की चिल्लाने की आवाज़ किसी को न सुनाई दे।

8. तत्पश्चात आगे वह तर्क करते है कि अभियोक्त्री, उसके ससुर, उसके पति और उसके पुत्र के कथनों से अभियोक्त्री से बलात्संग का साक्ष्य दुर्बल है, प्रकरण में कोई अन्य स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं है जिसने अभियोक्त्री को अभियुक्तों के घर जाते, अभियुक्तों के घर से लौटते या अभियोक्त्री के किसी शोर–शराबे को देखा हो। तत्पश्चात वह तर्क करते है कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री का पति अपने घर में था, परंतु घटना की जानकारी अगली सुबह दी गई। इसके बाद उसका पति दूसरे गांव चला गया और अभियोक्त्री अपने ससुर के साथ थाने आई। अभियोक्त्री और उसके परिवार के सदस्यों की स्थिति और आचरण अत्यधिक संदिग्ध है जो अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध गढ़ी गई कहानी को दर्शाता है। आगे उनका तर्क है कि अभियोक्त्री के पुत्र लक्ष्मण यादव (अ.सा. 5) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में स्वीकार किया है कि उसने अपनी माँ के बताए अनुसार कथन किया है। मुख्य परीक्षा में उन्होंने यह नहीं कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 किसी भी प्रकार से अपराध में शामिल है। **उन्होंने डोला उर्फ डोलागोबिंदा प्रधान व अन्य विरुद्ध ओडिशा राज्य {(2018) 18 एससीसी 695** में प्रकाशित} प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का अवलंब लिया और अंत में तर्क है कि यह न्यायालय कृपया इस अपील को स्वीकार करने और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि को अपास्त करने की कृपा करे तथा अपीलार्थीगण को आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का विरोध किया एवं तर्क किया कि अभियोजन ने अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है तथा विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. मैंने संबंधित पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेख तथा अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

11. अभियोक्त्री, जिसकी अ.सा.–1 के रूप में परीक्षण कराया गया है, ने कथन किया है कि घटना दिनांक 18/08/2017 शुक्रवार दोपहर की है। अभियुक्त अनीता लगभग 1.30 बजे उसके घर आई और नहाते समय उसे अपने घर ले जाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। उसने अभियुक्त के घर जाने से इनकार कर दिया परंतु अपीलार्थी नहीं मानी और हठ करने लगी। फिर वह अपनी सास के आग्रह

पर अभियुक्त के घर चली गई। उस समय लगभग 2 बजे थे। उसने पैरा 3 में आगे कथन किया है कि वह अभियुक्त के घर की छाया में बैठी थी और अभियुक्त से बात कर रही थी, उसका पुत्र भी उसके साथ गया था। अभियुक्त अनिल ने अपनी पत्नी और उसके पुत्र के सामने उसका हाथ पकड़ना शुरू कर दिया, जब वह चिल्लाई तो उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे कमरे के अंदर ले गया और अभियुक्त अनीता अभियोक्त्री के पुत्र के साथ बगीचे की ओर चली गई। अभियोक्त्री को कमरे के अंदर ले जाने के बाद अभियुक्त ने दरवाजा बंद कर दिया और अभियोक्त्री के ब्लाउज के बटन खोल दिए और उसकी पैंटी फाड़ दी और उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग किया। वह रोई और उसके पैरों में भी गिर गई, परंतु अभियुक्त ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने पैरा 4 में आगे कथन किया कि बलात्संग करने के पश्चात अभियुक्त ने उससे कहा कि जब भी वह बुलाए, तब आ जाना, उसने यह सोचकर हां कह दिया कि वह डर के मारे दरवाजा खोल देगी। अभियुक्त ने उससे यह भी कहा कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसके परिवार को जान से मार देगा। जब अभियुक्त ने दरवाजा खोला तो वह वहां से भागकर अपने घर आ गई। उस समय उसके घर के लोग काम से बाहर गए हुए थे, अगले दिन सुबह जब वे वापस आए तो उसने अपने पति, सास, ससुर को घटना की जानकारी दी। उसके बाद वह सारागांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आगे कथन किया कि वह अभियुक्त को तब से जानती है, जब वह अपने ससुराल आई थी। वे उसके करीबी रिश्तेदार हैं। इसके अतिरिक्त पैरा 12 में उसने कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके हाथ नहीं बांधे थे। यह कहना अनुचित है कि जब अभियुक्त ने मेरे ब्लाउज के बटन खोले तो मैंने विरोध नहीं किया। जब साक्षी से पूछा गया कि ब्लाउज खोलते समय वह क्यों नहीं चिल्लाई, तो उसने कहा कि वह चिल्ला नहीं सकी क्योंकि उसने उसके मुंह में कपड़ा डाल रखा था। यह कहना अनुचित है कि जब अभियुक्त उसका अंडरवियर फाड़ रहा था तो मैंने विरोध नहीं किया। उसने स्वयं कथन किया कि वह बहुत हिल रही थी और उसे अंडरवियर उतारने से रोकने का प्रयत्न कर रही थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अभियोक्त्री के पुत्र से अ.सा.–5 के रूप में परीक्षण किया गया है, उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानता है। उसने आगे कथन किया कि घटना दिनांक को उसके पिता, माँ व दादा–दादी घर पर थे। घटना के दिन अभियुक्त अनीता, जो न्यायालय में उपस्थित थी, उसकी माँ को बुलाने आई। वह अपनी मां के साथ गया। अभियुक्त अनिल, न्यायालय में उपस्थित था, उसकी माँ का हाथ पकड़कर वहां ले गया तथा उसे एक कमरे में बंद कर दिया तथा उसकी माँ के मुंह में कपड़ा ठूंसकर दरवाजा बंद कर दिया। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि वह अपनी माँ के साथ घर के अंदर नहीं गया था। उसने यह भी कथन किया है कि उसने अपनी माँ के मुंह में कपड़ा डालते नहीं देखा है, उक्त तथ्य उसे अभियोक्त्री द्वारा बताया गया था। उसने आगे कथन किया कि "**मैं अपनी माँ के निर्देशानुसार आज बयान दे रहा हूं**।"

13. अभियोक्त्री का परीक्षण करने वाले चिकित्सक को अ.सा–3 के रूप में परीक्षण कराया गया है। अभियोक्त्री के परीक्षण में उसने व्यक्त किया कि वह वर्ष 2015 से बीडीएम अस्पताल चांपा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ है। उसने आगे यह भी कथन किया है कि दिनांक 19/08/2017 को जब अभियोक्त्री को सारागांव थाने की महिला आरक्षी द्वारा परीक्षण के लिए लाया गया था, तब उसने उसका परीक्षण किया और निम्नानुसार तथ्य पाए:–

> "1. पीड़िता का पहचान चिन्ह उसके बाएं हाथ की हथेली के ऊपरी हिस्से पर एक टैटू का निशान था।
>
> 2. पीड़िता पूरी तरह होश में थी। वह ठीक से बात कर रही थी और मानसिक रूप से स्वस्थ थी।
>
> 3. बाह्य परीक्षण में, शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे।
>
> 4. पीड़िता का आखिरी मासिक धर्म 04.08.17 को हुआ था।
>
> 5. पीड़िता का पेट कोमल था।
>
> 6. आंतरिक परीक्षण में, पीड़िता के द्वितीयक जननांग पूर्णतया विकसित थे।
>
> 7. कोई योनि स्राव नहीं पाया गया।
>
> 8. पीड़िता के आंतरिक अंगों में किसी भी चोट के कोई निशान नहीं पाए गए।
>
> 9. मैंने पीड़िता के योनि स्राव की दो स्लाइडें तैयार कीं, उन्हें सील किया और उन्हें उसी आरक्षी को लौटा दिया, उसे रासायनिक परीक्षण कराने की सलाह दी।
>
> उसने अभिमत दिया कि उसे पीड़िता के साथ हाल ही में बलपूर्वक लैंगिक संभोग का कोई लक्षण नहीं मिला। पीड़िता लैंगिक संभोग की आदी थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने परीक्षण में अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि उन्होंने पीड़िता के साथ कोई अपराध नहीं किया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने पीड़िता को सिर्फ घरेलू काम के लिए अपने घर बुलाया था, परंतु उन्होंने अन्य आरोपों को अस्वीकार किया है।

15. प्रमिला विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य {(2021) 12 एससीसी 550} के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि हम इस बात से आश्वस्त और संतुष्ट नहीं हैं कि अपीलार्थी को एक विशिष्ट भूमिका सौंपने वाले अ.सा.–2 के साक्ष्य इतनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के हैं कि न्यायालय में एक बाल साक्षी के एकमात्र साक्ष्य पर दोषसिद्धि का आधार बनाने का विश्वास उत्पन्न हो। परिस्थितियों में संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **डोला अलियास डोलागोबिंदा प्रधान व अन्य विरुद्ध ओडिशा राज्य (2018) 18 एससीसी 695** के प्रकरण में पैरा 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:–

> 15. दिलचस्प बात यह है कि पीड़िता को गालों पर कुछ खरोंचों के अतिरिक्त कोई चोट नहीं लगी है। उसके कपड़े कीचड़ से भी सने नहीं थे। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि कथित घटना के समय हाथापाई हुई थी और उसने स्वयं को बचाने का प्रयत्न किया था। उसने यह भी कथन किया कि दोनों अभियुक्तों ने उसे घटनास्थल से उठा लिया और उसकी चूड़ियाँ तोड़ दी गईं, जिससे उसके हाथों पर खून बहने लगा। इसके अतिरिक्त, उसने कथन किया कि उसके हाथों पर हिंसा के निशान भी थे। उसके घुटने, स्तनों और नितंबों पर कोई चोट नहीं आई। उसने कथन किया कि वह अभियुक्तों से परिचित नहीं है और उसका उनसे किसी प्रकार का कोई लेन–देन नहीं था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने प्रत्येक हाथ में आठ चूड़ियाँ पहनी थीं और उसके दाहिने हाथ की सभी चूड़ियाँ टूट गई थीं और बाएं हाथ की केवल एक चूड़ी बची थी और समस्त चूड़ियाँ घटनास्थल पर ही टूट गई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस प्रकार, इस प्रकरण के तथ्यों में उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, हम इस तथ्य से भी आश्वस्त और संतुष्ट नहीं हैं कि पीड़ित अ.सा.–1 और उसके पुत्र (अ.सा.–5) का साक्ष्य इतना उत्कृष्ट है कि न्यायालय में उनके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का विश्वास उत्पन्न हो सके।

18. अतः साक्ष्य और दस्तावेजों अर्थात् चिकित्सा रिपोर्ट के समग्र मूल्यांकन से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:–

- पीड़िता की एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी./11 नेगेटिव है।

• चिकित्सा परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य या आंतरिक चोट नहीं पाई गई।

• अभियोक्त्री अ.सा.–5 का पुत्र प्रशिक्षित साक्षी है।

• अभियोक्त्री ने स्वीकार किया है कि पहले अभियुक्त और पीड़िता के मध्य पैसे के लेन–देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था।

• यद्यपि पीड़िता ने उसी दिन अपने पति को पूरी घटना बताई थी, परंतु तत्काल कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई और अगले दिन पति अपने काम पर चला गया था। यह अप्राकृतिक आचरण है कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी के साथ बलात्संग हुआ है तो यह कैसे संभव है कि ऐसा व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गया और अगले दिन वह नियमित रूप से अपने काम पर चला गया।

• यद्यपि यह आरोप लगाया गया है कि मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था, परंतु पीड़िता के मुंह या शरीर के किसी अन्य हिस्से पर कोई चोट नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी अपराध के रचयिता थे तथा संदेह उत्पन्न होता है, अतः लाभ अभियुक्त के पक्ष में होना चाहिए। प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हमारा अभिमत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में दिया जाना चाहिए।

20. यह सुस्थापित प्रस्ताव है कि जब 2–3 दृष्टिकोण सामने आ जाएं,। वह सबूत जो अभियुक्त के पक्ष में है स्वीकार किया जाना आवश्यक है। **काली राम विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य(1973) 2 एससीसी 808** में प्रकाशित प्रकरण में अनुपात प्रतिपादित किया गया है तथा **प्रदीप कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य(2023) 5 एससीसी 350** में प्रकाशित प्रकरण में दोहराया गया है, जिसका सुसंगत पैरा–27 निम्नानुसार है:–

> "27. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दाण्डिक न्याय के क्रियान्वयन में मुख्य सिद्धांत उन प्रकरणों में है जहाँ परिस्थितिजन्य साक्ष्य का अत्यधिक अवलंब लिया गया है, जहाँ दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर

इंगित करता है और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर, अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण हो उसे अपनाया जाना चाहिए।"

21. तदनुसार अपील **स्वीकार की जाती है**। दिनांक 24/02/2021 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उनके विरुद्ध विरचित समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

22. अपीलार्थी क्रमांक 1 के जेल में निरुद्ध होने की सूचना है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे अविलंब रिहा किया जाए।

23. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481) के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, अपीलार्थी क्रमांक 1 को दण्ड प्रक्रिया संहिता में विहित फॉर्म क्रमांक 45 के अनुसार 25,000/– रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि का एक विश्वसनीय जमानतदार संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है, जो छह माह की अवधि तक प्रभावशील होगा और साथ ही यह वचनबद्धता भी होगी कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध या अनुमति प्रदान करने हेतु विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करने की स्थिति में, उक्त अपीलार्थी इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. अपीलार्थी क्रमांक 2 जमानत पर है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा 481) के दृष्टिगत उसका जमानत बंधपत्र 06 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

25. विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित इस निर्णय की एक प्रतिलिपि अनुपालनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur